



दिनांक 23.08.2020

प्रेस विज्ञप्ति 29/2020

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही का विवरण

श्री एच०सी० अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ०प्र० को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के क्रम में निर्देश दिये गये है।

उक्त क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:—

- चालान किये गये वाहनों की संख्या — 3485105
- सीज किये गये वाहनों की संख्या — 69154
- वसूले गये शमन शुल्क की धनराशि **₹0** — **67,34,13,509**
- धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगों की संख्या — 198800
- ई०सी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या — 812

जनपद गाजियाबाद/थाना सिहानीगेट

- लूट की घटना का अनावरण, शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के 01 लाख 25 हजार 420 रू0 नगद
 - 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद

दिनांक 22.08.2020 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सिहानीगेट क्षेत्र से शातिर अभियुक्त सचिन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 01 लाख 25 हजार 420 रू0 नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.08.2020 को साइबर कैफे के मालिक से अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना सिहानीगेट पर मु0अ0सं0 1327/2020 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त बरामद रू0 को उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सचिन निवासी ग्राम घाटमपुर थाना गंगोह सहारनपुर।

बरामदगी

1- लूट के 01 लाख 25 हजार 420 रू0 नगद।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद एटा/थाना बागवाला

- 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 22.08.2020 को थाना बागवाला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पवास नहर पुल के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी पुष्पेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर लूट, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2020 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बागवाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पुष्पेन्द्र निवासी मौनिया थाना सादाबाद हाथरस।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बरेली/थाना कैंन्ट

- पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस
- 01 मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 22.08.2020 को थाना कैंन्ट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खरदहा रोड के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रोहित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना कैंट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 471/18 धारा 307/414 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना कैंट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित निवासी ग्राम चौबारी थाना कैंट बरेली।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस

2—01 मोटरसाइकिल

जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर

- पुलिस कार्यवाही में 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस
- चोरी की 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद

दिनांक 23.08.2020 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम सैडभर रोड डाक-बंगला के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो, बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शान मोहम्मद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस व चोरी की 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिंघावली अहीर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू० का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सिंघावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-शान मोहम्मद निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर बागपत।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस।

2-चोरी की 01 मोटरसाइकिल।

जनपद जौनपुर/थाना पवारा

- पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू० व 10,000 रू० का 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

- सोने/चाँदी के आभूषण

- 01 अवैध तमंचा 303 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 23.08.2020 को थाना पवारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुंवरपुर तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी दिलीप उर्फ डी०के० व नमन उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से सोने की 06 अंगूठी, 01 मंगलसूत्र, 01 पायल, 01 अवैध तमंचा 303 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती व आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है तथा दोनो अभियुक्त थाना पवारा पर पंजीकृत मु०अ०सं० 60/2020 धारा 395/412/120बी भादवि में वांछित चल रहा थे जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू० व 10,000 रू० का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना पवारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिलीप निवासी नईकोट पहसना थाना सिकरारा जौनपुर।(25,000 रू0)

2—नमन निवासी नईकोट पहसना थाना सिकरारा जौनपुर।(25,000 रू0)

बरामदगी

1— सोने की 06 अंगूठी, 01 मंगलसूत्र, 01 पायल।

2—01 अवैध तमंचा 303 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना नारखी

• पुलिस कार्यवाही में 20,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

• 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस

• 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद

दिनांक 22.08.2020 को थाना नारखी व थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नये बाईपास पुल के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गणेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नारखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 57/19 धारा 302/395/412/34 भादवि व मु0अ0सं0 88/19 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नारखी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-गणेश निवासी ग्राम भरनाखुर्द थाना बरसाना मथुरा।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित व 01 खोखा कारतूस।

2-01 मोटरसाइकिल आदि।

जनपद मेरठ/थाना नौचंदी

- पुलिस कार्यवाही में शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित खोखा कारतूस
- 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद

दिनांक 22.08.2020 को थाना नौचंदी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पटेल मंडप के पास मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में संदीप घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानो पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना नौचंदी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-संदीप निवासी गली नं0 10 फूलबाग कालोनी नौचंदी मेरठ।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित खोखा कारतूस।

2-01 मोटरसाइकिल आदि।

जनपद प्रतापगढ़ / थाना कंधई

- शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट के 15,600 रू0 नगद
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 कारतूस
- 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद

दिनांक 23.08.2020 को थाना कंधई व थाना कोहडौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खीरीवीर पुल के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त उमेद अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 15,600 रू0 नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 कारतूस व 01 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि 22.08.2020 को शीतलागंज शराब की दुकान से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में टीम बनाकर बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बरामद रू0 को उक्त घटना से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में कंधई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-उमेद अली निवासी ग्राम वसीरपुर थाना कंधई प्रतापगढ़।

बरामदगी

1- लूट के 15,600 रू0 नगद।

2-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 कारतूस।

3-01 मोटरसाइकिल आदि।

• जनपद बस्ती/सोनहा

• 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

• 01 किलो 200 ग्राम गांजा आदि बरामद

दिनांक 23.08.2020 को थाना सोनहा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिवाघाट के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी सोनू गौड़ उर्फ पंडित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा व चोरी के नगद रू0 बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद बस्ती के विभिन्न थानो पर चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना सोनहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 94/2020 धारा 457/380/411 भादवि व मु0अ0सं0 199/2020 धारा 380/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सोनहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू गौड़ उर्फ पंडित नि0 कंजड़टोला थाना कोतवाली बस्ती।

बरामदगी

1— कब्जे 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा व चोरी के नगद रू0।

एसटीएफ:जनपद मेरठ से N.C.E.R.T. की कूटरचित विभिन्न कक्षाओं/विषयों की किताबें तैयार करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को 8,90,439 किताबों के साथ किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 22.08.2020 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद मेरठ से N.C.E.R.T. की कूटरचित विभिन्न कक्षाओं/विषयों की किताबें तैयार कर विभिन्न प्रदेशों व जनपदों में बेचने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को 8,90,439 किताबों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1-शिवम (बिलिंग) पुत्र कालीचरण नि0 म0नं0 419 माता का बाग पुराना बागपत स्टेण्ड, मेरठ।
- 2-राहुल (बिलिंग) पुत्र सूरजमल नि0 म0नं0 498 नई गोविन्दपुरी थाना कंकरखेडा, मेरठ।
- 3-सुनील कुमार (सुपरवाईजर) पुत्र प्रीतम सिंह नि0 एकतानगर डोरली रोड मेरठ।
- 4- आकाश (मार्केटिंग) पुत्र राजकुमार नि0 1331 इन्द्रानगर थाना ब्रहमपुरी मेरठ।

बरामदगी:

- 1 8,90,439 एनसीआरटी की कूटरचित विभिन्न कक्षाओं/विषयों की किताबें।
- 2 09 अदद कम्प्यूटर के सी0पी0यू0।
- 3 123 अदद बिल बुक व 44 नई बिल बुक।
- 4 70 खाली लिफाफे टीएनएचके कम्पनी मार्का।
- 5 02 अदद लेटर पैड मेरठ सिक्थोरिटी प्रेस।
- 6 09 अदद लैटर पैड टी0एन0एच0 कम्पनी।
- 7 07 डिब्बी विजिटिंग कार्ड टीएनएचके कम्पनी प्रो0 सचिन गुप्ता।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 22.08.2020, स्थान:-ग्राम अछरोड से ग्राम काशी की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित गोदाम थाना परतापुर,मेरठ समय:-15.15 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से पश्चिमी उ0प्र0 सहित देश के विभिन्न राज्यों/जनपदों में एन0सी0ई0आर0टी0 की कूटरचित विभिन्न कक्षाओं/विषयों की पुस्तकें तैयार कर बेचने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ की टीम को मुखबिरों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जनपद में एन0सी0ई0आर0टी0 की कूटरचित विभिन्न कक्षाओं/विषयों की पुस्तकें तैयार कर पश्चिमी उ0प्र0 एवं देश के विभिन्न राज्यों/जनपदों में बेची जा रही हैं।

इसी क्रम में मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना परतापुर जनपद मेरठ क्षेत्रान्तर्गत अछरोड से ग्राम काशी मार्ग पर एक गोदाम है, जिसमें एन0सी0ई0आर0टी0 की किताबें फर्जी तरीके से छापकर देश के विभिन्न राज्यों व जनपदों में बेची जा रही हैं। इस सूचना पर विष्वास कर उ0नि0 श्री संजय कुमार के नेतृत्व में हे0कां0 वीरबोस, कान्स0 अंकित शर्मा एवं कान्स विकास चौधरी की एक टीम खाना की गयी तथा थाना परतापुर पुलिस की टीम को साथ लेकर दिनांक: 21.08.2020 को समय लगभग 14.00 बजे ग्राम अछरोडा से ग्राम काशी की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित गोदाम में छापा मारकर भारी संख्या में कूटरचित किताबों की बरामदगी की गयी तत्पश्चात् जॉचोपरान्त 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 890439 एन0सी0ई0आर0टी0 की कूटरचित किताबें बरामद की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने संयुक्त पूछताछ पर बताया कि यह फर्म संजीव गुप्ता जो मो0 भाटवाडा, दुर्गा मन्दिर के पास बुढ़ाना गेट थाना कोतवाली में रहता है एवं उनके भतीजे सचिन गुप्ता पुत्र सुशील कुमार गुप्ता नि0 डी-115 सेक्टर-3 सुशांत सिटी मेरठ की हैं। यह गोदाम राहुल गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता खसरा नं0-198 ग्राम काशी परतापुर मेरठ के नाम पर हैं, जो संजीव गुप्ता व सचिन गुप्ता ने लगभग एक-डेढ़ साल से किराये पर ले रखा है। हम लोग फर्जी तरीके से बुक खरीदने का बिल तैयार करते हैं। एन0सी0ई0आर0टी0 की विभिन्न कक्षाओं की किताबों की कूटरचना कर फर्जी तरीके से छापकर तथा फर्जी तरीके से बिल आदि तैयार कर सप्लाय करते हैं। इस कार्य में हम लोग लगभग 7-8 साल से लिप्त हैं इस अवैध कार्य से अब तक लगभग 35-40 करोड़ रूपयों की सम्पत्ति बना चुके हैं। सुनील कुमार (सुपरवाइजर) ने यह भी बताया कि यह एन0सी0ई0आर0टी0 की कूटरचित किताबें संजीव गुप्ता व सचिन गुप्ता की प्रिंटिंग प्रेस टी0एन0एच0के0 प्रिन्टर एण्ड पब्लिकेशन ए-1 मोहकमपुर इन्क्लैव, दिल्ली रोड मेरठ में छपकर व तैयार कर विकास त्यागी व नफीस द्वारा यहाँ भेजी जाती हैं तथा कुछ किताबें म0नं0 एच-6 औद्योगिक क्षेत्र पैराडाईज होटल के सामने निकट पीरशाह सैययद मुकदूस गजरौला स्थित प्रिन्टिंग प्रेस से तैयार होकर यहाँ आती हैं और यहाँ से मांग के अनुसार उ0प्र0 व भारत के अन्य राज्यों के थोक विक्रेताओं को सप्लाय की जाती हैं। इन दोनों प्रिन्टिंग प्रेस को सील करने एवं सैम्पल लेने की कार्यवाही थाना परतापुर पुलिस द्वारा की जा रही हैं।

गिरफ्तार एवं फरार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना परतापुर जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 538/2020 धारा 420/467/468/471/472/201 भादवि व 63 कॉपी राईट अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराया गया, अग्रिम विविध कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/बिसरख

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर थाना बिसरख पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित कर अवैध रूप से अर्जित की गयी 08 अपराधियों की सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद जौनपुर/थाना जलालपुर

जनपद जौनपुर थाना जलालपुर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी संजय द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद जौनपुर/थाना जलालपुर

जनपद जौनपुर थाना जलालपुर पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी राम जियावन द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 30 लाख रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद जौनपुर/थाना बरसठी

जनपद जौनपुर थाना बरसठी पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अपराधी वीरेन्द्र द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति कीमत करीब 02 लाख 75 हजार रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।